रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-480/2025/4111/22-2-2023-17(1674)/2022

लखनऊ: दिनांक: 23 मई, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं सपठित संशोधन विषयक शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28.07.2021 व शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी0/2018, दिनांक 27.05.2022 के प्रस्तर-1 व 2(ख) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत 10 दिसम्बर, 2023 (अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 2023) के अवसर पर आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी काशीराम (बन्दी संख्या-17295) पुत्र श्री तुलसीराम, निवासी- ग्राम-गोडहिया नं0-1, थाना-कैसरगंज, जनपद-बहराइच जिसे सत्र परीक्षण संख्या- 15/2004 में भा0द0वि0 की धारा-148, 302/149, 201 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, विशेष/सत्र न्यायाधीश, (ई0सी0 एक्ट) बहराइच के आदेश दिनांक 29-08-2008 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 06-05-2016 द्वारा निर्णीत करते हुये उक्त सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 10.12.2023 तक 16 वर्ष 00 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष 04 माह 07 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी सजा कारावास की अवधि में बन्दी का जेल आचरण अच्छा होने के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में विधि सम्मत आचरण एवं शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये रू0 50,000/- (रूपया पचास हजार मात्र) से अनधिक धनराशि का एक निजी मुचलका अपने सम्बन्धित कारागार के वरिष्ठ अधीक्षक / अधीक्षक को प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

शिव गोपाल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-480/2025/4111(1)/22-2-2023-17(1674)/2022, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- **पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।**
2- **जिला मजिस्ट्रेट, बहराइच**
3- **पुलिस अधीक्षक, बहराइच।**
4- **वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।**
5- **निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
6- **निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।**
7- **नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारागार गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) सं0-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) सं0-04/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्रान्ट आफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-09-2024 के सन्दर्भ में।**
8- **कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।**
9- **गार्ड फाइल।**

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।